Fourteenth Loksabha

Session : 5
Date : 12-08-2005

Participants : Athawale Shri Ramdas

>

Title : Reported derogatory remarks made by C & MD of IDBI against Dr. Babasaheb Ambedkar.

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कोई बात कहते हैं तो उसके लिए एट्रोसिटी एक्ट है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दी है कि एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत किसी को अरेस्ट किया जाता है या उसके ऊपर केस किया जाता है तो उसको जमानत नहीं मिलेगी। पहले ऐसा था कि कास्ट के नाम पर कोई बात कहता है तो कास्टिज्म को खत्म करने के लिए कम से कम उसे 14 दिन के लिए अंदर रखा जाता था लेकिन अब उनको एंटीसिपेटरी बेल

_

* Not recorded.

_

भी नहीं मिलती है। महोदय, 26 अप्रैल, 2005 को आईडीबीआई*.... जो आईडीबीआई में काम करने वाले एससीएसटीज़ के लाएजन अफसर हैं, जब उनसे मिलने गए और जब उन शैड्यूल कास्ट और शैड्यूल ट्राइब्स के बैकलॉग को भरने के बारे में चर्चा कर रहे थे...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: The name will be expunged.

श्री रामदास आठवले : सभापति महोदय, आईडीबीआई के चेयरमैन ने उन्हें इस तरह की बात कही कि you are useless Ambedkar इस तरह की बात जाति के नाम पर कही है। हमारी मांग है कि ऐसे जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में विचार करना चाहिए। अगर हमें इकनॉमिकल इक्वेलिटी के साथ-साथ सोशल इक्वेलिटी लानी है तो इस तरह की बात कोई भी अधिकारी या कोई भी आदमी करे तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भारत सरकार का इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आईडीबीआई को चेयरमैन ने इस तरह की कोई बात कही है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।

-

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again on Tuesday, the 16th August, 2005 at 11 a.m.

-

18.57 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on[r75] Tuesday, August 16, 2005/ Sravana 25, 1927 (Saka).